

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया एवं जिला कौशल प्रबंधक, अररिया के द्वारा Divya Drishti Bharat (KYP07010007), अररिया का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह केन्द्र बिहार कौशल विकास मिशन के मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया।

अतः समीक्षोपरान्त Divya Drishti Bharat (KYP07010007), अररिया को भुगतान किये जाने वाली राशि के Final Invoice से 30% राशि की कटौती तबतक की जाती रहेगी जबतक ऐसे केन्द्र को पुनः बिहार कौशल विकास मिशन के मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं कर दिया जाता है। साथ ही नामांकन पर अस्थाई रोक लागू रहेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Dr. J. N. Singh
05/06/23

(संजीव रंजन नीलमणि)
मिशन प्रबंधक(परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक—BSDM/KYP-111/2023-766

पटना दिनांक— 05-06-23

- प्रतिलिपि—(1) Divya Drishti Bharat (KYP07010007), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (2) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (3) मिशन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त केन्द्र से कटौती सुनिश्चित किया जाए।
- (4) जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dr. J. N. Singh
05/06/23

मिशन प्रबंधक (परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन